फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गौरव — **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131,136 भू.राजस्व अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 26/24**

जीसीएमएस : 2024/102

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 05.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार घासा से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। उभय पक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है कि पटवारी हल्का नाहरमगरा अनुसार ग्राम नाहरमगरा (नवीन ग्राम धुणीमाता) के नामान्तरकरण सं. 3930 विक्रय द्वारा मूल आराजी नम्बर 2158 रकबा 9.10 बीघा में से 2 बीघा भूमि श्री दिव्यांश पिता महेन्द्रसिंह सिंघवी निवासी उदयपुर के नाम दर्ज हुई। उक्त नामान्तरण में मूल आराजी नम्बर 2158 रकबा 9.10 बीघा में से 2.00 बीघा तोडते हुए नवीन आराजी नम्बर 2158/1 दे दिया गया। तत्पश्चात् नामान्तरकरण सं. 3936 समर्पण द्वारा आराजी नम्बर 2158/1 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण बिलानाम सरकार दर्ज हुई। नामान्तरकरण सं. 4357 द्वारा आराजी नम्बर 2158/1 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण बिलानाम सरकार से इन्डस्ट्रीज हेतु मेमर्स ट्रिब्यून रोप्स प्रो. दिव्यांश सिंघवी को 99 वर्ष लीज पर आवंटन हुई। तत्पश्चात् नवीन ग्राम धुणीमाता के नामान्तरकरण सं. 1450 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के आदेश द्वारा उक्त 2.00 बीघा भूमि नवीन आराजी नम्बर 4994/2159 से मेमर्स गेलडा मिनरल्स प्रा.लि. उदयपुर को मार्बल स्लेब उद्योग हेतु लीज पर दी गई। मूल आराजी नम्बर 2158 के शेष रकबा 7.10 बीघा मे से खातेदार सोहनकुंवर पत्नी जसवन्त सिंह द्वारा विक्रय से नवीन आराजी नम्बर रकबा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी खातेदार गौरव पिता नरेन्द्र धींग निवासी उदयपुर को विक्रय की गई जो नामान्तरकरण सं. 6564 द्वारा आराजी नम्बर 2158 को तोडते हुए नवीन आराजी नम्बर 5895/2158 रकबा 12 बिस्वा दे दिया गया, जिसका भी नक्शा ट्रेस संलग्न नहीं हैं। संलग्न विक्रय पत्र अनुसार नवीन आराजी नम्बर 5895/2158 क्षेत्रफल 0.0971 हेक्टेयर (0.12 बीघा) के खातेदार श्री गौरव पिता नरेन्द्र धींग मूल आराजी नम्बर 2158 के दक्षिणी कोने एवं आराजी नम्बर 2157 नाले से 20 फीट छोडते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर 65 फीट चौडाई व पूर्व से पश्चिम की ओर 160.8 फीट लम्बाई अंकित है एवं आराजी नम्बर 2158/1 नवीन आराजी नम्बर 4994/2158 क्षेत्रफल 0.3237 (2बीघा) के खातेदार वर्तमान में मैमर्स गेलडा मिलरल्स प्रा.लि. उदयपुर मूल आराजी नम्बर 2158 के उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तर से दक्षिण की ओर 99 चौडाई फीट व पूर्व से पश्चिम की ओर 352 फीट लम्बाई अंकित हैं। तरमीम अशुद्वि की मुख्य कारण वक्त विक्रय नामान्तरण सं. 3930 एवं 6564 द्वारा बिना नक्शा ट्रेस ही मूल आराजी नम्बर 2158 रकबा 9.10 बीघा को तोड दिया गया था एवं रिकार्ड को वन टू वन ऑनलाईन करने की दृष्टि से आराजी नम्बर 4994/2158, 5895/2158, 2158 की तरमीम बिना मौका देखकर कर दी गई थी। मूल आराजी नम्बर 2158 रकबा 9.10 बीघा में जहां मौके पर प्रार्थी 12 बिस्वा एवं मैमर्स गेलडा मिनरल्स प्रा.लि. उदयपुर 2 बीघा पर जहां काबिज है उसका प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान में राजस्व नक्शा शीट में जहां दर्शाया गया है उसका नक्शा ट्रेस संलग्न हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम नाहरमगरा (नवीन ग्राम धुणीमाता) के नामान्तरकरण सं. 3930 विक्रय द्वारा मूल आराजी नम्बर 2158 रकबा 9.10 बीघा में से 2 बीघा भूमि श्री दिव्यांश पिता महेन्द्रसिंह सिंघवी निवासी उदयपुर के नाम दर्ज हुई। उसके नवीन आराजी नम्बर 2158/1 दे दिया गया। तत्पश्चात् नामान्तरकरण सं. 3936 समर्पण द्वारा आराजी नम्बर 2158/1 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण बिलानाम सरकार दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.11 17:45:27 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण सं. 4357 द्वारा आराजी नम्बर 2158/1 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण बिलानाम सरकार से इन्डस्ट्रीज हेतु मेमर्स ट्रिब्यून रोप्स प्रो. दिव्यांश सिंघवी को 99 वर्ष लीज पर आवंटन हुई। तत्पश्चात् नवीन ग्राम धुणीमाता के नामान्तरकरण सं. 1450 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के आदेश द्वारा उक्त 2.00 बीघा भूमि नवीन आराजी नम्बर 4994/2159 से मेमर्स गेलडा मिनरल्स प्रा.लि. उदयपुर को मार्बल स्लेब उद्योग हेतु लीज पर दी गई। मूल आराजी नम्बर 2158 के शेष रकबा 7.10 बीघा मे से खातेदार सोहनकुंवर पत्नी जसवन्त सिंह द्वारा विक्रय से नवीन आराजी नम्बर रकबा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी खातेदार गौरव पिता नरेन्द्र धींग निवासी उदयपुर को विक्रय की गई जो नामान्तरकरण सं. 6564 द्वारा आराजी नम्बर 2158 को तोडते हुए नवीन आराजी नम्बर 5895/2158 रकबा 12 बिस्वा दे दिया गया, तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार विक्रय पत्र में नवीन आराजी नम्बर 5895/2158 क्षेत्रफल 0.0971 हेक्टेयर (0.12 बीघा) के खातेदार श्री गौरव पिता नरेन्द्र धींग मूल आराजी नम्बर 2158 के दक्षिणी कोने एवं आराजी नम्बर 2157 नाले से 20 फीट छोडते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर 65 फीट चौडाई व पूर्व से पश्चिम की ओर 160.8 फीट लम्बाई अंकित है एवं आराजी नम्बर 2158/1 नवीन आराजी नम्बर 4994/2158 क्षेत्रफल 0.3237 (2बीघा) के खातेदार वर्तमान में मैमर्स गेलडा मिलरल्स प्रा.लि. उदयपुर मूल आराजी नम्बर 2158 के उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तर से दक्षिण की ओर 99 चौडाई फीट व पूर्व से पश्चिम की ओर 352 फीट लम्बाई अंकित हैं। तरमीम अशुद्वि की मुख्य कारण वक्त विक्रय नामान्तरण सं. 3930 एवं 6564 द्वारा बिना नक्शा ट्रेस ही मूल आराजी नम्बर 2158 रकबा 9.10 बीघा को तोड दिया गया था एवं रिकार्ड को वन टू वन ऑनलाईन करने की दृष्टि से आराजी नम्बर 4994/2158, 5895/2158, 2158 की तरमीम बिना मौका देखकर कर दी गई थी। मूल आराजी नम्बर 2158 रकबा 9.10 बीघा में जहां मौके पर प्रार्थी 12 बिस्वा एवं मैमर्स गेलडा मिनरल्स प्रा.लि. उदयपुर 2 बीघा पर जहां काबिज है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों एवं कार्मिको द्वारा जैसे जैसे नामान्तरकरण पारित किये, वैसे वैसे मूल आराजी से बट्टा नम्बर अंकित करते हुए जमाबन्दी में हिस्सा पृथक कर दिया गया परन्तु सेग्रीगेशन/जमाबन्दी एवं नक्शा ऑनलाईन करते समय पृथक पृथक आराजी होने से राजस्व कार्मिको द्वारा अपनी मन मर्जी से तरमीम करते हुए सेग्रीगेशन के नक्शें में पृथक की गई आराजीयो को अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की जहां तरमीम की गई है वहां प्रार्थी काबिज ही नहीं हैं जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 5895/2158 रकबा 0.0971 हेक्टेयर की तरमीम राजस्व नक्शें में तहसीलदार घासा से प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.11 17:45:27 IST
Reason: SelfAttested